-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कालिंजर पुलिस द्वारा सगे भाई पर कुल्हाडी से हमला करने वाले भाई को किया गया गिरफ्तार ।अभियुक्त की निशाहदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा सगे भाई पर कुल्हाडी से हमला करने वाले भाई को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 06.03.2026 की देर शाम को थाना कालिंजर क्षेत्र के ग्राम तलैयापुरवा अंश मसौनी के रहने वाले साहबदीन ने अपने भाई के विरुद्ध जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से हमला कर घायल करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी । जिस पर थाना कालिंजर में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठन किया गया था । इस क्रम सूचना के 12 घण्टे के अंदर थाना कालिंजर पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम तलैया पुरवा अंश मसौनी जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशाहदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी बरामद हुआ है ।

बरामदगी-

- 01 कुल्हाडी (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजाबाबू पुत्र स्व0 जुग्गीलाल निवासी ग्राम तलैया पुरवाअंश मसौनी थाना कालिंजर जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 32/2026 धारा 109/352/351(3) थाना कालिंजर जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर
2. उ0नि0 श्री रामरक्षा सिंह
3. कां0 यादवेन्द्र